



प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

18 जनवरी, 2022/18 January, 2022

**सिडबी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता सुविधा के माध्यम से कम रेटिंग/गैर रेटिंग वाली एनबीएफसी और एमएफआई तक पहुंचने के लिए ₹650 करोड़ का निवेश किया**

**SIDBI pumps in ₹650 crore to reach out to low rated / unrated NBFCs and MFIs through RBI's Liquidity Facility**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार, वित्तपोषण और विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने दो लघु वित्त बैंकों एयू एसएफबी और जन एसएफबी को ₹650 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है जिससे कि इन लघुवित्त बैंकों के माध्यम से छोटे आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) / माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) तक पहुंचा जा सके जो आगे छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), has sanctioned financial assistance of ₹650 crore to two Small Finance Banks (SFBs) viz. AU SFB and Jana SFB, so as to reach out, through the SFBs, to small-sized Non-Banking Financial Companies (NBFCs) / Micro Finance Institutions (MFIs) who in turn provide financial assistance to the small businesses and micro entrepreneurs.

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अपेक्षाकृत छोटे एनबीएफसी और एमएफआई की भूमिका, जो आमतौर पर दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों (ऋण की कमी वाले, पिछड़े और आकांक्षी जिलों सहित) में काम करती हैं, की भूमिका अच्छी तरह से स्थापित है। वे आम तौर पर अनौपचारिक एमएसएमई क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्रों में स्थित 'नेक्स्ट-डोर' उपस्थिति के अद्वितीय लाभ और वर्षों से (बैंकों और बड़ी एनबीएफसी की तुलना में) ग्राहकों के बारे में संचित जानकारी के कारण विशेष रूप से ऋण व्यवसायों के लिए नए, छोटे खुदरा व्यापार, सूक्ष्म ऋण और अन्य छोटे घरेलू व्यवसाय, आदि को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।

The role of relatively smaller NBFCs and MFIs, which usually operate in remote geographies (including credit deficient, backward and aspirational districts), in the socio-economic development of the country is well established. They normally cater to the informal MSME sector, especially new to credit businesses, small retail trade, micro credit and other small household businesses, etc. in the hinterland due to their unique advantage of 'next-door' presence and accumulated knowledge about their clientele over a period of time (as compared to banks and larger NBFCs).

कोविड -19 महामारी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे इन छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमों की आय सृजन गतिविधियों में मंदी आई है। इसने एनबीएफसी और एमएफआई की वसूली और तरलता की स्थिति पर और प्रतिकूल प्रभाव डाला है। छोटे एनबीएफसी/एमएफआई, विशेष रूप से, हमेशा पर्याप्त संस्थागत वित्त पोषण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करते हैं और आम तौर पर अन्य बड़ी और अच्छी तरह से स्थापित गैर-बैंकिंग कंपनियों/एसएफबी से अपने फंड का समर्थन प्राप्त करते हैं।

The COVID-19 pandemic has adversely impacted the businesses of MSMEs leading to slow-down in income generation activities of these small businesses and micro enterprises. This has further adversely affected the collections and liquidity position of the NBFCs and MFIs. The smaller NBFCs / MFIs, in particular, have always faced challenges in accessing adequate institutional funding and generally source their funds support from other larger and well-established non-banking companies / SFBs.

इस दोहरे मध्यस्थता उपाय के माध्यम से दी जा रही सहायता के बारे में बात करते हुए, श्री सिव सुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिडबी ने कहा, "इस कदम से 40 से अधिक छोटे आकार के एनबीएफसी / एमएफआई संस्थाओं को जो अपने व्यवसाय के लिए संसाधन जुटाने में कठिनाई महसूस कर रही थी, उन्हें इससे लाभ मिलेगा।

Talking about the assistance being extended by way of this double intermediation measure, Shri Sivasubramanian Ramann, Chairman & Managing Director, SIDBI said "The move is expected to benefit more than 40 small-sized NBFCs / MFIs which will help in mitigating the hardships being faced by such NBFCs / MFIs in garnering resources for their businesses."

इन लघु वित्त बैंकों को ₹530 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिडबी को स्वीकृत ₹16,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा में से यह वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

An amount of ₹530 crore has already been released to these SFBs. The financial assistance has been extended out of the Special Liquidity Facility of ₹16,000 crore sanctioned by Reserve Bank of India to SIDBI to meet the challenges being faced by the MSMEs due to the prevailing Covid-19 pandemic situation.”

**सिडबी के बारे में:** 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों। सिडबी 2.0 अपने साथ समावेशी, अभिनव और प्रभाव-उन्मुख संबद्धताओं की दृष्टि को लेकर चल रहा है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.sidbi.in> पर जाएँ।

**About SIDBI:** Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements. SIDBI 2.0 carries the vision of inclusive, innovative and impact-oriented engagements.

To know more, check out: <https://www.sidbi.in/>

\*\*\*\*\*